

## अध्याय—XVIII

## प्रकीर्ण

**18.01 निरसन एवं व्यावृत्ति:—**

भारत सरकार के तत्कालीन रेल विभाग (रेलवे बोर्ड) की तारीख 9 मार्च 1929 की अधिसूचना संख्या 1078—टी0 के अधीन जारी किये गये साधारण नियम, ऐसे निरसन के पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाई के या उसके किये जाने में किये गये किसी लोप के सम्बन्ध में, एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।



**CHAPTER XVIII**  
**MISCELLANEOUS**

**18.01 Repeal and Savings: -**

The general rules issued under the notification of the Government of India in the late Railway Department (Railway Board) No. 1078-T, dated the 9th March, 1929, are hereby repealed except as respects things done or action taken or omitted to be done or taken before such repeal.

